



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112020-223236
CG-DL-E-21112020-223236

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3666]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2020/कार्तिक 28, 1942

No. 3666]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2020/KARTIKA 28, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2020

का.आ. 4168(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट NH44 के किमी. 220.700 से 286.110 किमी. तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH-44 (श्रीनगर बनिहान खंड) तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डेप्यूटी कमिश्नर पुलवामा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH44 के कि.मी. 220.7 से 286.11 तक	जम्मू और कश्मीर	पुलवामा	अवंतिपुरा	1 कचकूट

[फा. सं. 01/NH-44]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th November, 2020

S.O. 4168(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 220.70 to Km. 286.110 of the NH-44 for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of JAMMU & KASHMIR.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-44 (Srinagar- Banihal Section) in the Union Territory of JAMMU & KASHMIR.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Deputy Commissioner Pulwama	220.7 KM To 286.11 KM	JAMMU & KASHMIR	PULWAMA	Awantipora	1 Kachkoot

[F. No. 01/NH-44]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.